अत्यावश्यक

नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2026

सत्यमेव जयते

# राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

**STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR**

पत्रांक – न.नि. 50–07/2026 –936

प्रेषक,

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)

पटना, दिनांक– 06.03.2026.

**विषय :नगरपालिका का आम/उप निर्वाचन, 2026 : मतदाता सूची की तैयारी के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि 08 नगरपालिका (नगर परिषद फुलवारीशरीफ, नगर परिषद दानापुर निजामत, नगर परिषद खगौल, नगर पंचायत महाराजगंज, नगर पंचायत सोनपुर, नगर पंचायत मदनपुर, नगर पंचायत जम्हौर एवं नगर पंचायत मधुबन) के आम निर्वाचन तथा कतिपय कारणों से रिक्त हुए पदों के उप निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराया जाना है, जिसके लिए मतदाता सूची तैयार की जानी है। मतदाता सूची के तैयारी के विभिन्न प्रक्रमों की समय–सारणी नगरपालिका की सूची के साथ संलग्न है। साथ ही उप निर्वाचन हेतु आयोग को अब तक प्राप्त हुए रिक्तियों की जिलावार/पदवार संख्यात्मक विवरणी समेकित कर पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। सर्वप्रथम रिक्त पदों की विवरणी का मिलान कर लिया जाए एवं इसके अतिरिक्त भी **दिनांक 12.03.2026** तक यदि कोई पद रिक्त हुए हो तो उसे भी सम्मिलित कर संलग्न समय–सारणी के अनुसार मतदाता सूची निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जाए, तथा तत्संबंधी संलग्न किये गये रिक्ति की सुचना आयोग को अविलम्ब भेजा जाए ताकि उन रिक्त पदों पर उप निर्वाचन कराये जाने हेतु कार्रवाई आयोग द्वारा की जाए। रिक्त पदों की प्रविष्टि आयोग के वेबसाईट पर भी किया जाए।

उल्लेखनीय है कि नगरपालिका निर्वाचन कराये जाने हेतु राज्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की उस समय लागू निर्वाचक नामावली से मतदाता सूची तैयार किया जाना है। बिहार विधान सभा का अंतिम रूप से प्रकाशित अद्यतन मतदाता सूची का डाटा निर्वाचन विभाग, बिहार के पत्रांक 1283 दिनांक 16.02.2026 के द्वारा प्राप्त हो चुका है, जिसके आधार पर ही मतदाता सूची तैयार कि जाएगी।

2. बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली के **भाग II के नियम 3 से 28 तक** में नगरपालिका निर्वाचन हेतु मतदाता सूची की तैयारी करने के संबंध में प्रावधान किये गये हैं। बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की **धारा 451** में नगरपालिका के निर्वाचक को परिभाषित किया गया है, जिसे निम्नवत उद्धृत किया जाता है :–

"451. **नगरपालिका का निर्वाचक** – राज्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की उस समय लागू निर्वाचक नामावली या नामावलियों का उतना भाग, जो किसी नगरपालिका के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र या वार्ड से संबंधित हैं, में जिन व्यक्तियों के नाम– निर्वाचक के रूप में अंकित होंगे, वे सभी व्यक्ति संबंधित नगरपालिका निर्वाचन के निर्वाचक होंगे;

परंतु यह कि राज्य निर्वाचन आयोग स्वप्रेरणा से अथवा किसी व्यथित व्यक्ति से लिखित अभ्यावेदन प्राप्त होने पर इस राय का हो कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण हैं, तो नगरपालिका से संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में ऐसा परिवर्त्तन करने का निदेश दे सकेगा, जो कि वह उचित समझे;

**परंतु यह और कि इस अधिनियम की धारा 441 के अधीन राज्यपाल द्वारा नगरपालिका निर्वाचन की तिथि की अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात निर्वाचन नामावली में ऐसा कोई परिवर्त्तन की तिथि की अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात निर्वाचन नामावली में ऐसा कोई परिवर्त्तन नहीं किया जायेगा।"**

मतदाता सूची तैयार करने में संलग्न सभी पदाधिकारी नियमावली एवं अधिनियम के उक्त प्रावधानों की भलीभाँति अध्ययन अवश्य कर लें। इससे गलती की संभावना नहीं रहेगी।

3. विदित हो कि मतदाता सूची की तैयारी का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जायेगा। अतः कंडिका 2 में वर्णित उक्त प्रावधानों के अधीन नगरपालिका निर्वाचन में मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में आयोग का निम्नांकित दिशा–निर्देश संसूचित किया जाता है :–

(क) बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की **धारा 443 (2)** के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2025 के लिए आयोग के **आदेश संख्या 930 दिनांक 05.03.2026** द्वारा राज्य के प्रत्येक जिला के जिला दण्डाधिकारी को **जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)** के रूप में पदाभिहित किया गया है, तथा बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के **नियम 5** के प्रावधानों के तहत राज्य के प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्रों के लिए वार्डवार मतदाता सूची की तैयारी हेतु आयोग के **अधिसूचना संख्या 931 दिनांक 05.03.2026** से राज्य के **अनुमंडल पदाधिकारियों** को उनके क्षेत्र में पड़ने वाले नगर निकायों या उसके अंश के लिए **निबंधन पदाधिकारी** के रूप में नियुक्त किया गया है। ये निबंधन पदाधिकारी अपनी अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत मतदाता सूची की तैयारी से संबंधित सभी कार्यो का समन्वय एवं पर्यवेक्षण करेंगे। मतदाता सूची सही ढ़ंग से तैयार करने के लिए अंततः निबंधन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

पिछले चुनाव में यह पाया गया कि कतिपय नगरपालिका में मतदाता सूची का निर्माण के क्रम में विखण्डीकरण एवं दावा–आपत्ति के निष्पादन में पर्याप्त अनुश्रवण नहीं होने के कारण कुछ त्रुटियाँ परिलक्षित हुई, जैसे–

- मतदाता विखण्डीकरण के क्रम में प्रारंभिक मतदाता सूची बनाते समय संबंधित पार्ट के विखण्डीकरण का डाटा फाईनलाईज नहीं किया गया, जिसके कारण संबंधित मतदाता मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं हो सके।

- एक ही परिवार/एक ही गृह संख्या में रह रहे लागों का नाम अलग–अलग वार्ड में पाया गया।
- बहुत बड़ी संख्या में मतदाताओं का नाम उनके निवास वाले वार्ड से हटाकर अन्यत्र वार्ड में रखा गया।
- कुछ नगर निकायों में महत्वपूर्ण व्यक्तियों यथा–वर्तमान एवं भूतपूर्व सांसद, विधायक एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया।
- प्राप्त हुए दावा आपत्ति/परिवाद के निष्पादन में परिवादी को नोटिस नहीं दिया गया एवं उनके अनुपस्थिति में ही सुनवाई की गई, आदि।
- नगरपालिका क्षेत्र में 180 दिनों से कम अवधि तक निवास करने वाले व्यक्ति का नाम संबंधित वार्ड के मतदाता सूची में शामिल हो गया।

इस प्रकार की गलती के चलते बहुत से मामले माननीय न्यायालय के समक्ष वाद के रूप में प्रस्तुत किए गए, जिससे आयोग को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा था।

ज्ञातव्य हो कि आयोग के पत्रांक–930 दिनांक–05.03.2026 द्वारा भारत का संविधान के अनुच्छेद 243ZA बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 (यथासंशोधित) की **धारा–14** तथा बिहार निर्वाचन नियमावाली–2007 के **नियम–92** में निहित शक्तियों के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) की सहायता के लिये एक या एक से अधिक **जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)**, जो उप समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी से अन्यून हो, को नियुक्त करने हेतु आपको प्राधिकृत किया गया है।

अतएव मतदाता सूची के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण में सहायता हेतु एक अलग से जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (मतदाता सूची) नामित करने का निदेश दिया जाता है।

**जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (मतदाता सूची) के कार्य निम्नवत् होगें:–**

- मतदाता सूची के विखंडन का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण
- प्राप्त दावा/आपति एवं जनशिकायत आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण। इस हेतु नाम जोड़े जाने, विलोपित किये जाने तथा स्थानांतरित किये जाने के संदर्भ में निबंधन पदाधिकारी के कार्यों का प्रत्येक 03 दिनों पर अनुश्रवण करेगें।
- नगरपालिका क्षेत्र अन्तर्गत महत्वपूर्ण व्यक्तियों का नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया है, का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण।
- **दावा/आपति हेतु निर्धारित अवधि के अंतिम तिथि को नगरपालिका/अनुमंडल स्तर पर प्राप्त आवेदनों का निश्चित रूप से पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेगें तथा समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करायेगें।**
- किसी व्यक्ति/आवेदक का नाम संबंधित वार्ड के मतदाता सूची में तभी जोड़ा जा सकेगा, यदि दावाकर्त्ता/आवेदनकर्त्ता आवेदन की तिथि से कम–से–कम 180 दिन पूर्व से उस वार्ड में निवास करता हो, इसका पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेगें।
- पूर्व निर्वाचन एवं वर्त्तमान निर्वाचन में संबंधित वार्ड अन्तर्गत मतदाताओं की संख्या का तुलनात्मक स्थिति का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण। किसी मतदान केन्द्र पर

मतदाताओं की संख्या में अचानक वृद्धि/ह्रास होने की स्थिति में विशेष ध्यान दिया जाए।

आयोग का यह प्रयास है कि ऐसी अशुद्धियाँ दुहराई न जाए। त्रुटि प्रकाश में आने पर इसे मानवीय भूल के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (मतदाता सूची) का **नाम, पदनाम एवं कार्यालय पता मोबाईल नंबर सहित** आयोग के **वेबसाईट** पर **अपलोड किया जाए तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु निर्वाचन कार्यालय के सूचनापट पर चस्पा किया जाए।**

भारत का संविधान के **अनुच्छेद 243 ZA**, बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की **धारा–14** एवं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के **नियम 92** के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये निदेश दिया जाता है कि नगरपालिका निर्वाचन के निमित्त वार्डवार मतदाता सूची को तैयार किये जाने के क्रम में **प्रमंडलीय आयुक्त** तथा **जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)** निबंधन पदाधिकारी के कार्यो का **सतत् समन्वय पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण** करेंगे ताकि **ससमय त्रुटिरहित** मतदाता सूची तैयार की जा सके।

बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के **नियम 11** के प्रावधानों के अंतर्गत आयोग के **पत्रांक 932 दिनांक 05.03.2026** से नगरपालिका निर्वाचन में मतदाता सूची की तैयारी में निबंधन पदाधिकारी की मदद हेतु **रिवाईजिंग अथॉरिटी** की नियुक्ति हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत किये जा चुके है। मतदाता सूची की तैयारी हेतु निबंधन पदाधिकारी आवश्यकतानुसार रिवाईजिंग अथॉरिटी की नियुक्ति कर सकेंगे, **किन्तु मतदाता सूची सही ढ़ंग से तैयार करने की पूरी जिम्मेवारी निबंधन पदाधिकारी की मानी जायेगी।**

**इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि नगर निकाय के किसी भी पदाधिकारी या कर्मचारी को रिवाईजिंग अथॉरिटी के रूप में नहीं नियुक्त किया जायेगा।** निबंधन पदाधिकारी या रिवाईजिंग अथॉरिटी द्वारा माँग किये जाने पर संबंधित नगर निकाय के प्रशासक/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा मतदाता सूची तैयार करने के बारे में नगर निकाय कार्यालय में उपलब्ध सभी आवश्यक अभिलेख आदि निबंधन पदाधिकारी/रिवाईजिंग अथॉरिटी को उपलब्ध कराया जायेगा तथा उन्हें उनका दायित्व सही तरीके से निभाने के लिए सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जायेगी।

(ख) नगरपालिका अधिनियम की **धारा 451** एवं नियमावली के **नियम 3 से 28** के प्रावधानों के अनुसार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की अद्यतन मतदाता सूची में संबंधित नगर निकाय क्षेत्र में निवास करने वाले उन व्यक्तियों का नाम जो मतदाता के रूप में अंकित है, उन्हीं व्यक्तियों का नाम नगर निकाय हेतु तैयार की जाने वाली प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित किया जा सकेगा। जिन व्यक्तियों के नाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नहीं है, उनके दावा पर जाँचोपरांत विचार किया जायेगा।

(ग) बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली के **नियम 4** के प्रावधान के अनुसार नगर निकाय के प्रत्येक वार्ड के लिए अलग–अलग मतदाता सूची तैयार की जायेगी। इस प्रकार तैयार की गई मतदाता सूची में नाम आदि **नियम–8** के अनुसार हिन्दी मे देवनागरी लिपि में लिखा जायेगा। इस प्रकार तैयार की गई प्रारम्भिक मतदाता सूची को प्रारूप मतदाता सूची के रूप में माना जायेगा। इस प्रारूप मतदाता सूची में संबंधित वार्ड क्षेत्र के अंतर्गत

पड़ने वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की अद्यतन मतदाता सूची के मतदाताओं का नाम, पता आदि अंकित रहेगा।

(घ) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची मतदानकेन्द्र–वार तैयार की जाती है, जबकि नगर निकाय के निर्वाचन के लिए मतदाता सूची वार्ड–वार तैयार की जानी है। यह संभव है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई मतदानकेन्द्रवार मतदाता सूची में अंकित सभी मतदाता संबंधित नगर निकाय के एक ही वार्ड विशेष के न होकर एक से अधिक वार्ड के मतदाता हों। इसी प्रकार नगर निकाय की सीमा के अंदर या बाहर भी कुछ ऐसे मतदान केन्द्र हो सकते है, जिनके मतदाताओं का कुछ अंश नगर निकाय क्षेत्र के किसी भी एक या एक से अधिक वार्ड का हो, जबकि दूसरा अंश संबंधित नगर निकाय की सीमा के बाहर किसी ग्रामीण क्षेत्र (पंचायत) अथवा किसी दूसरे नगर निकाय क्षेत्र का हो। ऐसी स्थिति में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए तैयार की गई मतदाता सूची का सिर्फ उतना अंश, जो संबंधित नगर निकाय क्षेत्र से संबंधित है, को ही उक्त नगर निकाय के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची का आधार माना जायेगा।

वार्डवार मतदाता सूची की तैयारी के क्रम में निबंधन पदाधिकारी द्वारा मुख्यतः निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है:–

(i) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की अद्यतन मतदाता सूची में जिनका नाम अंकित है, सिर्फ उनका ही नाम नगर निकाय के चुनाव हेतु वार्ड–वार प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जायेगा;

(ii) नगर निकाय के किसी वार्ड विशेष की प्रारूप मतदाता सूची में उसी मतदाता को शामिल किया जायेगा जो विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए तैयार की गई मतदाता सूची में अंकित प्रविष्टियों के अनुसार नगर निकाय के संबंधित वार्ड विशेष का निवासी हो;

(iii) राज्य के प्रत्येक नगर निकाय के प्रत्येक वार्ड की चौहद्दी स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है एवं यह प्रत्येक जिला में संधारित है। मतदाता सूची तैयार करने में संलग्न कर्मी सर्वप्रथम उस वार्ड के लिए निर्धारित चौहद्दी एवं पिछले आम चुनाव से उस वार्ड (केवल पूर्व से यथास्थिति वाले नगरपालिका) के लिए निर्धारित मतदान केन्द्र का स्थल निरीक्षण अवश्य कर लेंगे।

(iv) **वार्ड विखण्डीकरण में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक ही परिवार/एक ही गृह संख्या में रहने वाले लोग का नाम एक ही वार्ड में रखा जाए।**

(v) विखण्डीकरण के क्रम में एक विधान सभा क्षेत्र के मदाता को वार्ड की मतदाता सूची में शामिल करने के पश्चात शेष मतदाता की विवरणी का मिलान कर लिया जाएगा ताकि किसी मतदाता का नाम छूट नहीं जाए।

(vi) प्रारूप प्रकाशन के पूर्व Software में प्रविष्टि उपरांत अवश्य Finalize निश्चित रूप से कर ली जाए।

**स्पष्ट किया जाता है कि मतदाता सूची वार्डवार तैयार की जानी है एवं इस क्रम में हर संभव यह प्रयास किया जाना है कि एक वार्ड का मतदान केन्द्र उसी वार्ड में स्थापित हो सके। किसी भी परिस्थिति में एक वार्ड के मतदाता को दूसरे वार्ड के**

**मतदान केन्द्र से संबद्ध नहीं किया जायेगा। ऐसी गलती से निर्वाचन प्रक्रिया दूषित हो जायेगी।** पिछले नगरपालिका आम निर्वाचन में कुछ जिलों से इस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई थी जो जाँच में सही पायी गई और आयोग को मतदाता सूची में इस तरह की गलतियों को सुधार करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा था। आयोग का यह प्रयास है कि नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2026 में ऐसी अशुद्धियाँ नहीं दुहराई जाय। अतः प्रत्येक अनुमंडल पदाधिकारी–सह–निबंधन पदाधिकारी (नगरपालिका) यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी गलती पुनः नहीं हो। **अतः पुनः स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी गलती पाये जाने पर इसे मानवीय भूल के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा निबंधन पदाधिकारी एवं संलग्न अन्य कर्मियों पर आयोग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जायेगी।**

(vii) बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की **धारा 451** के अनुसार राज्य विधानसभा क्षेत्रों के लिए तैयार की गई अद्यतन मतदाता सूची पर ही वार्डवार मतदाता सूची के विखण्डीकरण का कार्य किया जाना है। विखण्डीकरण के पश्चात वार्डवार मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जायेगा। प्रकाशित की गई प्रारूप मतदाता सूची पर प्राप्त दावा/आपत्ति के निष्पादन के उपरांत पूरक सूची तैयार की जायेगी, जो मूल मतदाता सूची के साथ **अनुपूरक–1** के रूप में अंतिम मतदाता सूची के रूप में प्रकाशित की जायेगी।

विगत निर्वाचनों के अनुभव के आधार पर नगरपालिका निर्वाचन हेतु मतदाता सूची की तैयारी में विशेष सावधनियाँ बरते जाने की आवश्यकता है और विशेषकार विखण्डीकरण का कार्य में ज्यादा समय दिया जाना जरूरी है, ताकि त्रुटि की संभावना न रहे। इसी परिप्रेक्ष्य में आयोग का निर्णय है कि नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2026 के लिए मतदाता सूची की तैयारी का कार्य दो चरणों में किया जाए।

प्रथम चरण में भारत निर्वाचन आयोग के अद्यतन मतदाता सूची के आधार पर नगरपालिका क्षेत्राधीन पड़ने वाले मतदाता सूची में मतदातावार वार्ड अंकित किया जाय अर्थात् प्रत्येक निकाय क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता का सर्वे (Field Verification) द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि वह किस वार्ड का निवासी है।

दूसरे चरण में सर्वे के पश्चात आयोग द्वारा प्रदत्त सॉफ्टवेयर के माध्यम से ओर उपलब्ध सॉफ्टवेयर डाटाबेस से मतदाता सूची को विखण्डीकृत करके उसकी छपाई कराई जाए और तत्पश्चात उसका प्रारूप प्रकाशन कर उस पर दावा/आपत्ति प्राप्त किया जाय। सॉफ्टवेयर के माध्यम से मतदाता सूची के विखण्डीकरण संबंधी विभिन्न प्रक्रम (User Manual) प्रशिक्षण के दिन उपलब्ध कराई जायेगी।

(viii) उक्त वर्णित प्रक्रिया के अनुरूप नगरपालिका निर्वाचन के निमित्त मतदाता सूची की तैयारी आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये सॉफ्टवेयर की मदद से की जायेगी। इस सॉफ्टवेयर की मदद से मतदाता सूची का प्रारूप तैयार करने के पूर्व विहित **"प्रपत्र–क"** में विधान सभा की मतदाता सूची से नगरपालिका के वार्डवार मतदाता सूची का विखंडन किया जायेगा। निबंधन पदाधिकारी इस कार्य हेतु आवश्यक संख्या में कर्मियों की नियुक्ति करेंगे एवं यह कार्य ससमय सम्पन्न करायेंगे। नियुक्त कर्मी

आवंटित वार्ड में जाकर वहाँ स्थानीय नागरिकों की मदद से उस वार्ड की चौहद्दी के अंदर मतदाता का क्रमांक आदि **"प्रपत्र–क"** में अंकित करेंगे। इस **"प्रपत्र–क"** के आधार पर ही आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये सॉफ्टवेयर की मदद से डाटा प्रविष्टी की जायेगी। संबंधित वार्डवार डाटा की प्रविष्टि एवं इसके जाँच के पश्चात ही मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जायेगा। **मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन आम जन की जानकारी हेतु आयोग के वेबसाईट पर भी किया जायेगा जिसमें सर्च एवं प्रिंट की भी सुविधा रहेगी।**

(ix) उल्लेखनीय है कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची की पी.डी.एफ. प्रति सभी जिलों में उपलब्ध है। अतः जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) संबंधित निर्वाचन शाखा से अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची की पी.डी.एफ. प्रति प्राप्त कर निबंधन पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, जिसके आधार पर निबंधन पदाधिकारी द्वारा **प्रपत्र–क** में वार्डवार मतदाता सूची का विखंडन कार्य निर्धारित कार्यक्रम अनुरूप प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

(ङ) इस प्रकार तैयार की गई प्रारूप मतदाता सूची को बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के **नियम 9 एवं 12** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार निबंधन पदाधिकारी द्वारा संलग्न प्रपत्र–1 में सूचना जारी कर निम्नलिखित स्थानों पर आयोग द्वारा दिये गये कार्यक्रम के अनुसार आम सूचना एवं निरीक्षण हेतु प्रकाशित किया जाएगा :–

(i) संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) का कार्यालय
(ii) संबंधित नगर निकाय के मुख्य कार्यालय,
(iii) नगर निकाय के अंचल कार्यालय, यदि कोई हो, तो वहाँ
(iv) वार्ड क्षेत्र अंतर्गत स्थित थाना अथवा थाना जिनके क्षेत्रांतर्गत वार्ड या वार्ड का अंश स्थित है,
(v) वार्ड क्षेत्रांतर्गत डाकघर
(vi) नगर निकाय बाजार एवं आम वाचनालय तथा आम पुस्तकालय, जहाँ निबंधन पदाधिकारी उचित समझे।

इसके अलावा निबंधन पदाधिकारी द्वारा प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन नगर निकाय के प्रत्येक वार्ड में ढ़ोल पिटवाकर नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर सूचना (Notice) चिपकाकर आमजन को मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन में प्रकाशित स्थानों की जानकारी दी जायेगी इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया, लोकल टी0वी0 चैनल एवं प्रचार वाहनों के माध्यम से भी प्रारूप प्रकाशन का प्रचार–प्रसार कराया जाएगा ताकि आमजन उसका निरीक्षण कर सकें। निबंधन पदाधिकारी द्वारा **नियम–12** के तहत् एक स्थानीय हिन्दी दैनिक में **प्रपत्र–1** में सूचना का प्रकाशन एवं **स्थानीय समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति भी दी जायेगी।**

उक्त विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा तथा निबंधन पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) के माध्यम से **प्रारूप प्रकाशन कि तिथि को सायं छः बजे** तक आयोग को ई–मेल के माध्यम से उपलबध कराना सुनिश्चित किया जाएगा, साथ

ही चिन्हित स्थानों पर प्रकाशित किये गये मतदाता सूची का प्रारूप **वेबसाईट पर** अपलोड किया जायेगा। **प्रारूप प्रकाशन में इस बात का ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि संबंधित नगरनिकाय अंतर्गत किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम छुट नहीं जाए, यथा– वर्तमान एवं भूतपूर्व सांसद, विधायक तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि। इस आशय का प्रमाण पत्र आयोग के वेबसाईट पर अनिवार्य रूप से अपलोड करना सुनिश्चित की जाए।**

**वार्डवार मतदाता सूची के प्रकाशन की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भी सर्वसाधारण को समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से दी जायेगी।**

(च) ऊपर उप–कण्डिका (ङ) के अनुसार प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची के बारे में कोई भी व्यक्ति अपने दावे अथवा आपत्तियाँ संबंधित वार्ड के **रिवाईजिंग अथॉरिटी या निबंधन पदाधिकारी** के समक्ष संलग्न **प्रपत्र–2, प्रपत्र– 2(A) अथवा प्रपत्र–3** में प्रारूप प्रकाशन की तिथि से **14 दिनों के अंदर** दे सकता है। **प्रपत्र–2** में मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु दावा, **प्रपत्र– 2A** में किसी प्रविष्टि से संबंधित विशिष्टियों पर आक्षेप एवं **प्रपत्र–3** में मतदाता सूची में दर्ज किसी नाम के विरूद्ध आपत्ति किये जाने का प्रावधान है।

**निबंधन पदाधिकारी एवं रिवाईजिंग अथॉरिटी का वार्डवार नाम, पदनाम, मोबाईल नंबर, कार्यालय का पता (स्थान एवं समय सहित) संबंधी सूचना 'सूचनापट्ट' पर चस्पा करते हुए इसका प्रचार प्रसार माईकिंग, पम्पलेट, स्थानीय समाचार पत्र तथा कचरा गाड़ी के माध्यम से करना सूनिश्चित किया जायेगा। साथ ही उक्त पदाधिकारियों की सूची आयोग को भी उपलब्ध कराई जाएगी एवं आयोग के वेबसाईट पर अपलोड भी किया जाएगा।**

(छ) आयोग द्वारा नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 की तरह नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2026 में भी आयोग के वेबसाईट पर मतदाता सूची से संबंधित **ऑनलाईन दावा एवं आपत्ति** प्राप्त करने की भी व्यवस्था की गयी है। इस व्यवस्था के तहत मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के बाद मतदाता सूची में परिवर्द्धन, विलोपन एवं संशोधन करने हेतु यदि कोई व्यक्ति चाहे तो आयोग के वेबसाईट www.sec.bihar.gov.in के माध्यम से भी ऑनलाईन दावा/आपत्ति दे सकेगा। ऑनलाईन दावा/आपत्ति प्राप्त होते ही आवेदनकर्त्ता को प्राप्ति रसीद एक यूनिक नंबर के साथ जेनरेट होकर प्राप्त होगी एवं दावा/आपत्ति संबंधित जिले को दावा/आपत्ति **'वेब एप्लीकेशन'** के माध्यम से प्राप्त हो जायेगा। इस प्रकार प्राप्त दावा/आपत्ति का ससमय इनका निष्पादन निबंधन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे एवं अनुपालन प्रतिवेदन जिला निव्रचन पदाधिकारी (नगरपालिका) के माध्यम से आयोग को भेजेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) निबंधन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त दावा/आपत्ति के निष्पादन की स्थिति का **सतत् समन्वय, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे।**

(ज) रिवाईजिंग अथॉरिटी एवं निबंधन अधिकारी के समक्ष दिये गये दावे/आपत्तियों के संबंध में आवश्यक प्रविष्टियाँ संलग्न **प्रपत्र–ग** में संधारित पंजी में की जाएगी तथा **प्रपत्र– 2/प्रपत्र–2 (A)/प्रपत्र–3** के निचले भाग में विहित प्रपत्र में प्राप्ति रसीद

दावा/आपत्तिकर्त्ता को दी जायेगी। **उक्त कंडिका (छ) में वर्णित ऑनलाईन माध्यम से प्राप्त दावा/आपत्तियों को भी इसी पंजी में संधारित किया जायेगा एवं आवेदन का यूनिक नम्बर भी अंकित किया जायेगा। साथ ही निबंधन पदाधिकारी द्वारा ऑफलाईन प्राप्त दावा/आपत्ति संबंधी प्रपत्र एवं संलग्न कागजात को भी आयोग के वेबपोर्टल पर डिजीटाईज कराया जायेगा।**

(झ) रिवाईजिंग अथॉरिटी अपने समक्ष दायर किये गये दावा/आपत्ति (ऑनलाईन प्राप्त दावा/आपत्ति सहित) के संबंध में संलग्न **प्रपत्र–4/ प्रपत्र–5** में दावा/ आपत्तिकर्त्ता को एक सूचना देंगे जिसमें दायर किये गये दावे/आपत्तियों की सुनवाई की तिथि, समय तथा स्थान का उल्लेख रहेगा। **इसी तरह की सूचना प्रपत्र–5 में उस व्यक्ति को दी जायेगी जिसके विरूद्ध आपत्ति की गई है।** रिवाईजिंग अथॉरिटी निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर दावा/आपत्तियों की सुनवाई करेंगे एवं आवश्यक हुआ तो वार्ड के भौगोलिक सीमा का भ्रमण कर इन दावा/आपत्तियों की निष्पादन करेंगे। **स्पष्ट किया जाता है कि दावा/आपत्तिकर्त्ता को इस सुनवाई में वकील की सहायता प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।** अगर कोई दावा/आपत्ति निबंधन पदाधिकारी के समक्ष दायर किया गया हो, तो निबंधन पदाधिकारी द्वारा उस दावा/आपत्ति को संबंधित रिवाईजिंग अथॉरिटी के समक्ष निष्पादन हेतु अविलम्ब भेज दिया जायेगा। निर्गत सूचना का तामिला अभिलेख में संधारण सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

(ञ) **दावे एवं आपत्तियाँ किस आधार पर दी जायेंगी–** दावे एवं आपत्तियाँ निम्न आधार पर ही दी जा सकेगी–

(1) विधान सभा के मतदाता सूची में नाम है, किन्तु विखंडन के पश्चात तैयार की गई वार्डवार मतदाता सूची में नाम अंकित नहीं है।

(2) विखंडन में त्रुटियों के कारण एक वार्ड के मतदाता का नाम उसी नगर निकाय के दूसरे वार्ड में अंकित हो गया हो।

(3) विधान सभा की मतदाता सूची में नाम अंकित नहीं है, किन्तु वार्डवार विखंडन के समय या मतदाता सूची प्रारूप प्रकाशन के समय नगरपालिका की मतदाता सूची में स्वतः नाम जोड़ दिया गया है।

(4) विधान सभा मतदाता सूची में ही निर्वाचक का नाम उसका निवास वार्ड संख्या में न होकर उसी नगर निकाय के अन्य वार्ड में अंकित हो गया है।

(5) मतदाता सूची में मृत व्यक्ति का नाम अंकित है।

(6) मुद्रण की भूल के कारण निर्वाचक अथवा उसके पिता/पति/लिंग/उम्र/फोटो आदि में कतिपय संशोधन की आवश्यकता है।

(7) किसी व्यक्ति का नाम किसी वार्ड विशेष के लिए प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची से हटाने के लिए।

(8) 01.01.2026 को अट्ठारह वर्ष की आयु पूरी हो रही हो।

(9) क्षेत्र विशेष का मतदाता बनने की योग्यता रखते हों, किन्तु उनका नाम विधानसभा मतदाता सूची में दर्ज नहीं है।

**अधिनियम की धारा–451 के प्रथम परन्तुक के आलोक में राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा विशिष्ट आदेश दिये जाने पर ही नगर निकायों के निर्वाचन हेतु तैयार की जा**

रही मतदाता सूची में वैसे व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम जोड़ा जा सकेगा जिनका नाम तत्समय प्रवृत्त विधान सभा के लिए तैयार मतदाता सूची में नहीं है। उक्त उप–कंडिका **(1), (2), (3), (4), (5), (6)** एवं **(7)** के लिए आयोग के आदेश की आवश्यकता नहीं है। निबंधन पदाधिकारी/रिवाईजिंग अथॉरिटी इसके लिए सक्षम होंगे किन्तु उक्त उप–कंडिका (4) के लिए उन्हें एक वार्ड से नाम हटाने एवं दूसरे वार्ड में नाम जोड़ने संबंधी दो आवेदन प्राप्त करने होंगे एवं दोनों के संदर्भ में संबंधित रिवाईजिंग अथॉरिटी का आदेश पारित करना होगा।

उक्त उप–कंडिका (8) एवं (9) के आधार पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने के संबंध में भारत का संविधान के अनुच्छेद **243 ZA**, बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–14 एवं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 92 के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को अंतिम निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। इस संबंध में आयोग के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु तत्संबंधी सूचना से आयोग को भी अवगत कराया जायेगा।

साथ ही जिस व्यक्ति की आयु **दिनांक 01.01.2026 को 18 वर्ष** पूरी हो रही हो अथवा जो व्यक्ति नगरपालिका के वार्ड विशेष में रहते हो किन्तु उनका नाम विधान सभा की मतदाता सूची में नहीं है तथा मतदाता बनने की योग्यता रखते हो, तो उनके नाम को मतदाता सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु दावा "प्रपत्र–2" में प्राप्त किये जायेंगे। **मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु दावाकर्त्ता द्वारा साक्ष्य के रूप में जन्म तिथि (आयु) एवं निवास स्थान संबंधी प्रमाण पत्र आवश्य संलग्न करेंगे, यथा–**

- **जन्म तिथि (आयु) का प्रमाण पत्र** संबंधी कोई एक कागजात संलग्न की जा सकती है–
  - (i) जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण–पत्र;
  - (ii) शैक्षणिक संस्थान से प्राप्त प्रमाण–पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो;
  - (iii) भारतीय पासपोर्ट
  - (iv) पैन कार्ड
  - (v) ड्राइविंग लाइसेन्स
  - (vi) आधार कार्ड
  - (vii) उपर्युक्त कागजात नहीं रहने की स्थिति में आवेदक के माता–पिता द्वारा आयु संबंधी घोषणा।

यदि माता पिता भी जीवित नहीं हो तो आवेदक संबंधित नगरपालिका के जनप्रतिनिधि द्वारा निर्गत आयु प्रमाण–पत्र।

- **निवास स्थान का प्रमाण पत्र** संबंधी कोई एक कागजात संलग्न किया जा सकता है –
  - (i) बैंक/किसान/डाकघर का चालू पासबुक;
  - (ii) राशन कार्ड;
  - (iii) भारतीय पासपोर्ट;
  - (iv) ड्राइविंग लाइसेन्स;

(v) आयकर निर्धारण आदेश;

(vi) आवेदक का नाम से या उसके निकटतम नातेदार जैसे माता–पिता आदि के नाम से पानी/टेलीफोन/बिजली/गैस कनेक्शन का नवीनतम बिल;

(vii) आवेदक के नाम से साधारण निवास के पते पर भारतीय डाक विभाग के माध्यम से सुपुर्द/वितरण की गई कोई डाक/पत्र/मेल;

(viii) आवेदक या आवेदक के सगा–संबंधी के नाम से खतियान/ Registered deed/रसीद।

प्रपत्र–2 के साथ यदि साक्ष्य के रूप में **मात्र आधार कार्ड संलग्न है** तथा आधार कार्ड से जन्म तिथि (आयु) एवं मामूली तौर पर निवास स्थान संबंधी प्रमाण यदि स्थापित होते हैं, तो उन्हें भी मान्यता दी जायेगी।

**किसी व्यक्ति/आवेदक का नाम संबंधित वार्ड की निर्वाचक सूची में तभी जोड़ा जा सकेगा यदि दावाकर्त्ता/आवेदनकर्त्ता आवेदन की तिथि से कम से कम 180 दिन पूर्व से उस वार्ड में निवास करता हो। (प्रपत्र–2)**

**नगरपालिका निर्वाचन, 2022 में प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची के विरूद्ध प्राप्त दावा/आपित्त की प्राप्ति के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि नगर निकाय के वार्ड की सीमा से सटे उसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र/ पंचायत के निर्वाचकों द्वारा प्रपत्र–2 में नाम जोड़ने हेतु आवेदन रिवाईजिंग ऑथरिटी/निबंधन पदाधिकारी को समर्पित किया गया। आयोग द्वारा निबंधन पदाधिकारी को किसी दावा/आपत्ति की स्वीकृति/अस्वीकृति के पूर्व नाम, Relative Name आदि के आधार पर आवेदनकर्त्ता के किसी विधानसभा से निबंधन के संबंध में Search की सुविधा दी गई है। अतः यदि अपेक्षित हो तो निबंधन पदाधिकारी द्वारा Search Tab द्वारा ऐसे आवेदक के निर्वाचक सूची में प्रविष्टि की जाँच की जा सकती है। विदित हो कि प्रपत्र–2 में दावाकर्त्ता द्वारा किसी अन्य क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं होने एवं उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में 180 दिनों में अन्यून निवास करने संबंधी घोषणा की जाती है। अतः निबंधन पदाधिकारी द्वारा उक्त को दृष्टिगत कर बिहार नगरपालिका निर्वाचक नियमावली, 2007 के नियम–25 के अधीन प्राप्त दावा/आपत्ति का नियमानुसार निष्पादन किया जाना है।**

(ट) कुछ ऐसे भी मामले हो सकते है, जिसमें **आवासीय पता बदलने के कारण** एक विशेष वार्ड के लिए प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची से दूसरे वार्ड की मतदाता सूची में नाम स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया हो। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता हे कि इस प्रकार का अनुरोध प्राप्त होने पर रिवाईजिंग अथॉरिटी द्वारा संबंधित व्यक्ति को यह स्पष्ट कर दिया जायेगा कि ऐसे मामलों में आवेदक एक वार्ड विशेष की मतदाता सूची से अपना नाम हटाने के लिए आवेदन दे सकता है और यदि वे चाहें तो दूसरे वार्ड, जहाँ वे मतदाता होने का दावा करते हो, कि मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करने हेतु अलग दावा संबंधित वार्ड के रिवाईजिंग अथॉरिटी के समक्ष दायर कर सकते हैं। अर्थात उन्हें दो आवेदन देना होग। एक वर्त्तमान वार्ड की मतदाता सूची से अपना नाम हटाने के बारे में और एक आवेदन दूसरे वार्ड, जहाँ की मतदाता

सूची में वे अपना नाम दर्ज करना चाहते हों, के रिवाईजिंग अथॉरिटी के समक्ष अपना नाम दर्ज करने के लिए।

(ठ) अगर **भूलवश या अज्ञानतावश** एक वार्ड विशेष से संबंधित दावे या आपत्ति दूसरे वार्ड के रिवाईजिंग अथॉरिटी के समक्ष दायर कर दिया गया हो, तो इस परिस्थिति में रिवाईजिंग अथॉरिटी, जिनके समक्ष इस प्रकार के दावे या आपत्तियों को दायर किया गया हो, अविलम्ब उसे निबंधन पदाधिकारी को भेज देंगें जो कि उसे संबंधित वार्ड के रिवाईजिंग अथॉरिटी के पास निष्पादन हेतु भेजेगा।

(ड) **पूर्व के चुनाव में प्रारूप निर्वाचक सूची के विरूद्ध बड़ी संख्या में निर्वाचकों के एक वार्ड से दूसरे वार्ड में स्थानांतरित होने से संबंधित परिवाद प्राप्त हुए है। ऐसी स्थिति में परिवाद की सुनवाई हेतु परिवादी को नोटिस का तामिला कराते हुए यदि आवश्यकता हो तो स्थलीय जाँच के पश्चात परिवादी एवं प्रभावित व्यक्ति की उपस्थिति में ही नियमानुसार सुनवाई कराते हुए आदेश पारित कर परिवाद का निष्पादन किया जाए। इसके लिए निर्वाचकों से आवेदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।**

(ढ़) निबंधन पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर **आम सूचना** के माध्यम से जानकारी दी जायगी कि विभिन्न वार्डो के रिवाईजिंग अथॉरिटी द्वारा **किस तिथि, समय, स्थान/स्थानों पर दावे एवं आपत्तियों की सुनवाई** की जायेगी। रिवाईजिंग अथॉरिटी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे निबंधन पदाधिकारी द्वारा पूर्व घोषित समय सारणी के अनुसार प्राप्त सभी दावे एवं आपत्तियों का निष्पादन निश्चित रूप से करे। इस प्रकार सुनवाई के दौरान रिवाईजिंग अथॉरिटी द्वारा आवश्यक छान–बीन की जायेगी तथा किसी दावे या आपत्तियों को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के बारे में आदेश पारित किया जायेगा। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि **इस प्रकार की सुनवाई के दौरान वकील की सहायता अनुमान्य नहीं है।** परंतु आवेदक द्वारा दिये गये साक्ष्य एवं कथन को लिखित रूप से हस्ताक्षर के साथ अभिलेख में संधारित किया जाना अनिवार्य होगा।

**दावा/आपत्ति के निष्पादन से संबंधित आदेश फलक को आयोग के पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है।**

(ण) रिवाईजिंग अथॉरिटी **कतिपय मामले, यथा–** ऐसा मतदाता, जो दिनांक 01.01.2026 के पश्चात मतदाता होने के लिए अयोग्य हो गया हो या उस तिथि के पश्चात जिसकी मृत्यु हो गई हो या जिसका नाम एक ही वार्ड के अंदर एक से अधिक जगह पर दर्ज हो या जिसका नाम एक से अधिक वार्ड के प्रारूप मतदाता सूची में अंकित हो गया है, **में स्वप्रेरणा से** भी प्रारूप प्रकाशित मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन/शुद्धिकरण/विलोपन संबंधी कार्य **विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए कर सकते है,** जो निम्नवत् है :–

(i) किसी मतदाता की मृत्यु के संबंध में परिजन द्वारा की गई घोषणा (declaration) तथा उनके विलोपित किये जाने वाले मतदाता का मृत्यु प्रमाण–पत्र (death certificate) प्राप्त करने के पश्चात ही नियमानुसार विलोपन की कार्रवाई की जायेगी।

(ii) वैसे मतदाता जिसकी सूची में यथाप्रविष्ट योग्यता उसके निबंधन हेतु हकदारी के लिए पर्याप्त नहीं है, या जो किसी अयोग्यता अथवा अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित नियोग्यता के कारण मतदान करने से निःशक्त नहीं हो गया हो, का नाम विलोपित करने का आदेश दे सकता है। (नियम–24)

पर इस प्रकार का आदेश पारित करने से पहले रिवाईजिंग अथॉरिटी द्वारा, यदि ऐसा करना संभव हो सके, ऐसे व्यक्ति, जिनके बारे में रिवाईजिंग अथॉरिटी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वे मतदाता होने के लिए अयोग्य हो गये हों, को सुनवाई का मौका दिया जायेगा। **किसी भी निर्वाचक के नाम विलोपन के पूर्व संबंधित निर्वाचक को अनिवार्यतः इस आशय की बावत सूचना (नोटिस) देनी होगी कि मतदाता सूची में नाम विलोपित किये जाने के लिए आक्षेप (स्वप्रेरणा सहित) प्राप्त हुआ है, जिसकी सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। नोटिस तामिला की प्राप्ति रसीद निश्चित रूप से संधारित किया जाना है।** प्रस्तावित नगरपालिका निर्वाचन में स्वार्थी तथ्वों द्वारा सही मतदाताओं का नाम हटाने का प्रयास किया जा सकता है। **विलोपन के संबंध में रिवाईजिंग अथॉरिटी/निबंधन पदाधिकारी द्वारा पर्याप्त साक्ष्य/अभिलेख के सत्यापन एवं तार्किक आदेश पारित करने के पश्चात ही विलोपन की कार्रवाई की जायेगी।**

(iii) विधान सभा की मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टि के कारण किसी वार्ड विशेष के लिए तैयार की गई मतदाता सूची में यदि एक ही मतदाता का नाम एक से अधिक स्थानों पर अंकित किया गया है, तो इस प्रकार के मामले में निबंधन पदाधिकारी/रिवाईजिंग अथॉरिटी के ध्यान में लाये जाने की स्थिति में संबंधित मतदाता को नोटिस दिया जायेगा तथा उनसे लिखित स्पष्ट स्थिति प्राप्त की जायेगी कि वे अपने निवास स्थान के अनुसार मतदाता सूची की कौन सी प्रविष्टि कायम रखना चाहते हैं, और तदनुसार मतदाता की संबंधित प्रविष्टि को बरकरार रखा जायेगा ओर शेष प्रविष्टियाँ खारिज कर दी जायेगी। पर यदि समयाभाव में मतदाता से सम्पर्क करना संभव नहीं हो सके तो उस स्थिति में एक से अधिक प्रविष्टियों में से जो प्रविष्टि क्रमानुसार सबसे ऊपर में है, की प्रविष्टि को बरकरार रखा जायेगा। मान लिया जाय कि मतदाता देवदत्त का नाम नगर निकाय, **"क"** के वार्ड संख्या– 3 की मतदाता सूची के क्रमांक 1058, 2035 तथा 2501 पर अंकित है तो ऐसी स्थिति में मतदाता सूची के क्रमांक 1058 की प्रविष्टि बरकरार रहेगी तथा शेष दो क्रमांक, यथा 2035 एवं 2501 की प्रविष्टियाँ खारिज कर दी जायेगी। परन्तु यदि मतदाता देवदत्त स्वयं क्रमांक 2035 की प्रविष्टि बरकरार रखना चाहते है तो तदनुसार उनका अनुरोध मान लिया जायेगा और शेष क्रमांक यादि 1058 एवं 2501 की प्रविष्टियाँ खारिज कर दी जाएगी। अगर मतदाता सूची के वार्डवार विखंडन की त्रुटियों के कारण किसी मतदाता का नाम उसी वार्ड में एक से अधिक जगह दर्ज हो गया है तो उसके लिए मतदाता को सुनने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। विधान सभा की मतदाता सूची के जिस क्रमांक पर उस मतदाता का नाम है, उसे रखा जायेगा शेष को विलोपित कर दिया जायेगा।

(iv) विधान सभा की मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टि के कारण किसी एक मतदाता का नाम यदि एक से अधिक वार्ड की मतदाता सूची में अंकित हो गया है, तो संबंधित मतदाता द्वारा एक घोषणा निबंधन पदाधिकारी के समक्ष दी जायेगी जिसमें उनके द्वारा यह स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा कि वे किस वार्ड विशेष के मतदाता के रूप में अपना मताधिकार का प्रयोग करना चाहते है। तदनुसार उन्हें संबंधित वार्ड के लिए मताधिकार प्रयोग करने का अधिकार प्रापत होगा और शेष वार्ड की मतदाता सूची में से उनका नाम विलोपित कर दिया जायेगा। अगर मतदाता सूची के वार्डवार विखंडन की त्रुटियों के कारण किसी मतदाता का नाम एक से अधिक वार्ड में दर्ज हो गया है, तो उसके लिए मतदाता को सुनने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। विधानसभा की मतदाता सूची के अनुसार जिस वार्ड में उस मतदाता का नाज दर्ज है उसे रखा जायेगा शेष को विलोपित कर दिया जायेगा।

(त) ऊपर वर्णित प्रक्रिया के फलस्वरूप प्रारूप मतदाता सूची में यदि कोई संशोधन आवश्यक हो तो इसके बारे में रिवाईजिंग अथॉरिटी द्वारा अपना निर्णय निबंधन पदाधिकारी को संसूचित किया जायेगा और तदनुसार प्रारूप मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन किया जायेगा।

(थ) नियम 25 के अनुसार निबंधन पदाधिकारी, स्वप्रेरणा से भी, मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पहले रिवाईजिंग अथॉरिटी को नियम 24 द्वारा प्रदत्त किसी अथवा सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

**स्पष्ट किया जाता है कि अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में बिना राज्य निर्वाचन आयोग के निदेश के कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को अपने स्तर पर यह महसूस होता हो कि कुछेक मामलों में स्पष्ट विसंगति/त्रुटि परिलक्षित हो रही है तथा उनका परिर्माजन आवश्यक है, तो वे संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर पूरे तथ्यों को उल्लेख करते हुए अपने स्पष्ट मंतव्य के साथ आयोग को प्रतिवेदन भेजेंगे तथा आयोग से प्राप्त निदेश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करेंगे, किन्तु ध्यान रहे कि धारा 441 के अधीन राज्यपाल द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात निर्वाचक नामावली में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।**

4. वार्ड–वार मतदाता सूची तैयार करने, दावा/आपत्ति दर्ज करने, सूचना देने आदि के बारे में भिन्न–भिन्न प्रपत्र विहित किये गए हैं, जिसका नमूना प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। रिवाईजिंग अथॉरिटी द्वारा और भी कई मामलों (जैसे–मतदाता सूची की प्रतिवष्टि में शुद्धिकरण, एक से अधिक वार्ड के मतदाता सूची में दर्ज मतदाता को किसी एक विशेष वार्ड के मतदाता सूची में नाम रखने का विकल्प, रिवाईजिंग अथॉरिटी/निबंधन अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से मतदाता सूची से नाम हटाना, प्रविष्टि में शुद्धिकरण करना आदि) में कार्रवाई करने की आवश्यकता हो सकती है, जिसके लिए नियमावली में कोई प्रपत्र विहित नहीं किया गया है। ऐसे मामले में रिवाईजिंग अथॉरिटी अपनी सुविधानुसार सादे कागज में आवेदन प्राप्त कर कार्रवाई कर सकते हैं,

और आवश्यकतानुसार संबंधित मतदाता को इसी प्रकार सादे कागज में भी सूचना दे सकते हैं।

5. **जिला द्वारा विहित प्रपत्रों का मुद्रण स्थानीय तौर पर किया जायेगा और इस प्रकार मुद्रण में जो खर्च जायेगा उसका वहन संबंधित नगर निकाय द्वारा किया जायेगा। निबंधन पदाधिकारी द्वारा दावे/आपत्ति करने वाले को विहित प्रपत्र निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।**
6. अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची को पर्याप्त प्रतियों में यथाशीघ्र मुद्रित किया जाएगा और इस प्रकार अंतिम प्रकाशित वार्ड–वार मतदाता सूची की तीन प्रतियाँ संबंधित नगर निकाय के प्रधान कार्यालय में सुरक्षित रखी जाएँगी।
7. मतदाता सूची की तैयारी तथा उसके प्रारूप एवं अंतिम सूची को मुद्रित कराने में जो खर्च आयेगा, उसका वहन भी संबंधित नगर निकाय द्वारा किया जायेगा। इस प्रकार मुद्रित प्रारूप/अंतिम मतदाता सूची की प्रतियाँ आम जनता को भी बिक्री की जा सकती है। मुद्रित मतदाता सूची का विक्रय मूल्य का निर्धारण संबंधित नगर निकाय के प्रशासक/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। मतदाता सूची की बिक्री से प्राप्त आय संबंधित नगर निकाय के खाता में जमा की जाएगी।
8. **मतदाता सूची की तैयारी, उसके प्रारूप प्रकाशन के दौरान दावा या आपत्तियों का निष्पादन, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन आदि सभी प्रक्रियाए संलग्न समय–सारणी के अनुसार पूरी की जायेगी। अनुरोध है कि सभी आवश्यक कार्रवाईयाँ तद्नुसार सुनिश्चित करने की कृपा की जाए।**
9. **जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)** वार्डवार तैयार किये जा रहे मतदाता सूची के निमार्ण कार्य एवं प्राप्त दावा/आपत्ति के ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित कराने हेतु सतत् समन्वय, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे। अनुश्रवण हेतु चेकलिस्ट पत्र के साथ संलग्न किया गया है।
10. **प्रमंडलीय आयुक्त** प्रमण्डल अधीन सभी जिलों में नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2025 के निमित्त तैयार किये जा रहे मतदाता सूची की तैयारी संबंधी कार्यों के ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन की स्थिति का सतत् अनुश्रवण करेंगे।

निदेशानुसार अनुरोध है कि इस पत्र की पर्याप्त प्रतियाँ अपने स्तर पर तैयार कर सभी संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध करा देने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक– न.नि. 50–07/2026 936 पटना, दिनांक– 06/03/2026.

प्रतिलिपि– आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक– न.नि. 50–07/2026 936 पटना, दिनांक– 06/03/2026.

प्रतिलिपि– सभी निबंधन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक– न.नि. 50–07/2026 936 पटना, दिनांक– 06/03/2026.

प्रतिलिपि– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक– न.नि. 50–07/2026 936 पटना, दिनांक– 06/03/2026.

प्रतिलिपि– सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक– न.नि. 50–07/2026 936 पटना, दिनांक– 06/03/2026.

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

# नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2026

## मतदाता सूची की तैयारी संबंधी कार्यक्रम

| | | |
|---|---|---|
| (क) बिहार विधान सभा का अन्तिम रूप से प्रकाशित अद्यतन मतदाता सूची का वार्ड-वार विखंडन (प्रपत्र - क में) | – | 13.03.2026 से 21.03.2026 तक |
| (ख) मतदाता सूची की ऑनलाईन प्रविष्टि हेतु प्रशिक्षण | – | 20.03.2026 |
| (ग) प्रपत्र-क के अनुसार डाटावेस की तैयारी एवं प्रारूप मतदाता सूची सॉफ्ट प्रति में तैयार | – | 23.03.2026 से 02.04.2026 |
| (घ) प्रारूप मतदाता सूची का पी.डी.एफ. तैयार करना एवं प्रारूप मतदाता सूची का मुद्रण | – | 04.04.2026 से 13.04.2026 |
| (ङ) मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन | – | 15.04.2026 को |
| (च) दावा/आपत्ति प्राप्त की अवधि (पोर्टल पर प्रविष्टि) | – | 15.04.2026 से 28.04.2026 |
| (छ) प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण एवं तदनुसार सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि | – | 17.04.2026 से 04.05.2026 |
| (ज) मतदाता सूची का पी.डी.एफ. तैयार करना एवं अन्तिम मतदाता सूची का मुद्रण | – | 05.05.2026 से 12.05.2026 |
| (झ) मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन | – | 13.05.2026 |

नगरपालिका निर्वाचन

# प्रपत्र – क

(मतदाता सूची विखंडन हेतु)

जिला का नाम :

नगरपालिका का नाम :

| क्रम संख्या | वार्ड संख्या संख्या | मुहल्ला का नाम | विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या/भाग संख्या | विधान सभा का मतदाता क्रमांक | | कुल मतदाता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | कहाँ से | कहाँ तक | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

स्थान :

दिनांक : रिवाईजिंग अथॉरिटी निबंधन पदाधिकारी

## प्रपत्र–1

[देखिये नियम 12(1)]

# सूचना

..... के वार्ड संख्या ..... की मतदाता सूची
(नगरपालिका का नाम)

एतद् द्वारा उपरोक्त वार्ड का प्रारूप मतदाता सूची को सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है। इस सूची में नाम दर्ज करने के लिए सभी दावा प्रपत्र–2 में तथा सूची में दर्ज नाम के विरूद्ध सभी आपत्तियाँ प्रपत्र–3 में दिनांक ..... तक दायर की जा सकेगी।
(तिथि–माह–200 )

रिवाईजिंग अथॉरिटी, जिनके समक्ष ऐसे दावे एवं आपत्तियाँ दायर की जा सकती हैं, .....
(नाम एवं पदनाम अंकित करें)
..... है, जिनका पता .....
..... ।

दावे एवं आपत्तियाँ रिवाईजिंग अथॉरिटी को संबोधित किये जायेंगे तथा या तो इस सूचना में विनिर्दिष्ट रिवाईजिंग अथॉरिटी के समक्ष उपस्थापित किये जायेंगे या डाक द्वारा इस प्रकार भेजे जायेंगे ताकि उन्हें दिनांक ..... तक प्राप्त हो सके।

स्थान :

दिनांक : निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

## प्रपत्र–2

[देखिये नियम 12(2)]

..... नगरपालिका के वार्ड संख्या ..... की मतदाता सूची में नाम दर्ज करने हेतु दावा

सेवा में,

निबंधन पदाधिकारी/रिवाईजिंग अथॉरिटी

.....
(नगरपालिका का नाम)

वार्ड संख्या .....

फोटो

महाशय,

मैं प्रार्थना करता/करती हूँ कि उक्त नगरपालिका क्षेत्र के लिए निर्वाचन नामावली में मेरा नाम सम्मिलित कर लिया जाए। नगरपालिका निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किये जाने के लिए मेरे दावे के समर्थन में ब्योरा नीचे दिये गये है :–

मैं #..... पिता/पति ..... जो नगरपालिका ..... के वार्ड संख्या ..... मुहल्ला ..... डाक घर ..... थाना ..... जिला ..... का निवासी हूँ;

मैं भारत का नागरिक हूँ तथा दिनांक 1 जनवरी 2026 को मेरी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है तथा उपरोक्त वार्ड में सामान्यतया $..... में 180 दिनों
(गली/मुहल्ला का नाम)
से अन्यून दिनों से निवास करता/करती हूँ। मेरे द्वारा किसी अन्य वार्ड में नाम दर्ज करने के लिए किसी अन्य पते पर दावा नहीं किया गया है।

उपरोक्त कथन के समर्थन में मेरे द्वारा निम्नांकित कागजातों की मूल/सत्यापित प्रतियाँ इस दावे के साथ समर्पित की जाती है :–

(i)
(ii)
(iii)

### घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा नाम किसी अन्य क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। ऊपर उल्लिखित तथ्य और विशिष्टियाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं।

स्थान :

दिनांक : दावाकर्त्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

* दावाकर्त्ता की ओर से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर

---

# पूरा नाम अंकित करें।

$ पूर्ण पता अंकित करें।

* यदि दावाकर्त्ता द्वारा स्वयं हस्ताक्षर नहीं किया जाता हो तो उस स्थिति में दावा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रत्येक मामले में ततसंबंधी प्राधिकार पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

## दावा की प्राप्ति रसीद

श्री/श्रीमती/सुश्री ....., जो .....(नगरपालिका का नाम).....के

वार्ड संख्या ..... डाक घर .....थाना .....जिला .....

के निवासी हैं, का मतदाता सूची में नाम दर्ज करने हेतु दायर दावा की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

स्थान :

तिथि : रिवाईजिंग अथॉरिटी का हस्ताक्षर

# प्रपत्र–2(A)

## किसी प्रविष्टि से संबंधित विशिष्टियों पर आक्षेप

सेवा में,

निबंधन पदाधिकारी/रिवाईजिंग अर्थॉरिटी

..............................................
(नगरपालिका का नाम)

वार्ड संख्या ......................

महोदय,

मैं निवेदन करता/करती हूँ कि मुझसे सम्बद्ध प्रविष्टि जो......................................................(नगरपालिका का नाम) के वार्ड संख्या ........... के प्रारूप प्रकाशित मतदाता सूची के क्रमांक ..................पर ''.........................................'' के रूप में दी हुई है, शुद्ध नहीं है। उसे शुद्ध कर दिया जाय जिससे वह निम्नलिखित रूप में पढ़ी जाय ............

''..............................................................................................

..............................................................................................

..................................

स्थान .................... निर्वाचक के हस्ताक्षर या अँगूठे का निशान

तारीख ...................

---

आवेदन की रसीद

श्री/श्रीमती/कुमारी ...........................................................जो .................................का/की निवासी है, प्रविष्टि की शुद्धि से संबंधित आवेदन प्राप्त हुआ ।

स्थान : रिवाईजिंग अर्थॉरिटी का हस्ताक्षर

तारीख ............................. ..............................

(आवेदक द्वारा भरा जाए)

## प्रपत्र–3

[देखिये नियम 12(2)]

# मतदाता सूची में दर्ज नाम के विरूद्ध आपत्ति

सेवा में,

निबंधन पदाधिकारी/रिवाईजिंग अथॉरिटी

.....
(नगरपालिका का नाम)

वार्ड संख्या .....

महाशय,

मैं उक्त नगरपालिका के वार्ड संख्या ..... के लिए प्रकाशित प्रारूप निर्वाचन नामावली में नीचे उल्लिखित व्यक्ति का नाम सम्मिलित किये जाने पर आपत्ति करता/करती हूँ। मेरे आपत्ति/आक्षेप के समर्थन में विशिष्टियाएँ नीचे दी जा रही हैं :–

मैं सूचित करता/करती हूँ कि श्री/श्रीमती/सुश्री* .....

जिनका नाम, ..... (नगरपालिका का नाम) के वार्ड संख्या ..... थाना .....,की मतदाता सूची के क्रमांक .....पर अंकित है, पर मेरी आपत्ति है।

मेरी आपत्ति का आधार :–

है, जिनके संबंध में मैं इस आपत्ति के साथ निम्नांकित कागजातों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति समर्पित करता/करती हूँ।

घोषणा

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि इस आपत्ति में अंकित ऊपर उल्लिखित तथ्य और विशिष्टियाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं।

मतदाता सूची का क्रमांक –
वार्ड संख्या –
नगरपालिका का नाम –
दिनांक –

आपात्तिकर्त्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
वर्त्तमान पता –

---

*यहां नाम अंकित करें जैसा कि मतदाता सूची में है।

नोट : कोई भी व्यक्ति जो झूठी घोषणा करता है या सूचना देता है जिसके बारे में वह जानता है या उसे विश्वास है कि वह झूठ है या सत्य नहीं होने का विश्वास करता है, को भा.द.वि. की धारा 182 या/और धारा 199 तथा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 474 अन्तर्गत दंडित किया जा सकता है।

.....

# आपत्ति की प्राप्ति रसीद

श्री/श्रीमती/सुश्री ....., जो .....
(गली/मुहल्ला का नाम)

वार्ड संख्या ..... डाक घर .....थाना .....जिला .....

के निवासी हैं, के द्वारा मतदाता सूची में दर्ज नाम के विरूद्ध दायर आपत्ति की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

स्थान :
तिथि :

रिवाईजिंग अथॉरिटी का हस्ताक्षर

## प्रपत्र– 4

(देखिये नियम 16)

# सूचना

सेवा में,

_____

_____

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि ..... नगरपालिका के वार्ड संख्या .....

की मतदाता सूची के सम्बन्ध में आपके दावा/आपत्ति की सुनवाई दिनांक ..... को ..... बजे

..... पर की जायेगी तथा आपको निदेश दिया जाता है
(स्थान का नाम)

कि सुनवाई के समय ऐसे साक्ष्यों, जिन्हें आप देना चाहते हों, के साथ उपस्थित हों।

स्थान :

तिथि : रिवाईजिंग अथॉरिटी का हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि इस सूचना को मेरे द्वारा दिनांक .....

को

श्री/श्रीमती/श्री* ..... पर दावा

या आपत्ति करते समय/मकान पर चिपकाकर/निजी तौर पर विधिवत तामिल किया गया।

स्थान : रिवाईजिंग अथॉरिटी का हस्ताक्षर

दिनांक :

* यहाँ उस व्यक्ति का नाम अंकित करें जिसपर सूचना तामिल की गई है।

## प्रपत्र–5

(देखिये नियम 17)

## सूचना

सेवा में,

______________________

वार्ड संख्या– .......... नगरपालिका का नाम – ................................

चूंकि श्री/श्रीमती/सुश्री* ...................................................... वार्ड संख्या .................... द्वारा ...................................... नगरपालिका के वार्ड संख्या ................... की मतदाता सूची में दर्ज आपके नाम के विरूद्ध ......................................................................................................... आधार पर आपत्ति की गई है, अतः एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि उक्त आपत्ति की सुनवाई दिनांक .......................... को ................ बजे .......................................................................... (स्थान का नाम) पर की जायेगी। आपको निदेशित किया जाता है कि सुनवाई के समय ऐसे साक्ष्यों, जिन्हें आप देना चाहते हों, के साथ उपस्थित हों।

स्थान : रिवाईजिंग अथॉरिटी का हस्ताक्षर

दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि इस सूचना को मेरे द्वारा दिनांक ................................ को श्री/श्रीमती/सुश्री ** ....................... .................................................................. पर निजी तौर पर/मकान पर चिपकाकर विधिवत तामिल किया गया।

स्थान : रिवाईजिंग अथॉरिटी का हस्ताक्षर

दिनांक :

---

* यहाँ उस व्यक्ति का नाम अंकित करें जिसके द्वारा आपत्ति की गई है।

** यहाँ उस व्यक्ति का नाम अंकित करें जिसपर सूचना तामिल की गई है।

प्रपत्र – ख

नगरपालिका निर्वाचन नामावली, 2026 (बिहार)

जिला ..... नगरपालिका ..... वार्ड संख्या

अनुमंडल : प्रखंड : थाना : डाकघर : पृष्ठ संख्या

| क्रमांक | विधान सभा निर्वाचक नामावली का क्रमांक | निर्वाचन पहचान पत्र संख्या | क्रमांक | विधान सभा निर्वाचक नामावली का क्रमांक | निर्वाचन पहचान पत्र संख्या | क्रमांक | विधान सभा निर्वाचक नामावली का क्रमांक | निर्वाचन पहचान पत्र संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| निर्वाचक का नाम : | | | निर्वाचक का नाम : | | | निर्वाचक का नाम : | | |
| पिता/माता/पति का नाम : | | | पिता/माता/पति का नाम : | | | पिता/माता/पति का नाम : | | |
| गृह संख्या : | | | गृह संख्या : | | | गृह संख्या : | | |
| उम्र : लिंग : | | | उम्र : लिंग : | | | उम्र : लिंग : | | |

नोट : एक पृष्ठ पर कुल 30 नाम अंकित रहेंगे।

## प्रपत्र – ग

# दावा/आपत्ति की पंजी

जिला ..... नगरपालिका ..... वार्ड संख्या .....

| क्रमांक | तिथि | दावाकर्त्ता/आपत्तिकर्त्ता का नाम एवं पता | आपत्ति का विवरण | अभ्युक्ति (पारित आदेश का सारांश) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

## प्रपत्र – घ

# अन्तिम मतदाता सूची के प्रकाशन की सूचना

जिला ..... नगरपालिका ..... वार्ड संख्या .....

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वार्ड की अन्तिम मतदाता सूची को निम्नांकित स्थानों पर सर्वसाधारण के निरीक्षण हेतु प्रकाशित किया जाता है :–

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

स्थान :
दिनांक :

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

## मतदाता सूची की तैयारी के संदर्भ में निबंधन पदाधिकारियों के लिए चेकलिस्ट

| क्र0 | विषय | हाँ/नहीं |
|---|---|---|
| 1. | निबंधन पदाधिकारी द्वारा मतदाता सूची की तैयारी के संदर्भ में आयोग द्वारा निर्गत निदेश/पत्र एवं बिहार निर्वाचन नियमावली, 2007 के संगत प्रावधानों का सूक्ष्मता से भलीभांति अध्ययन किया गया है। | हाँ/नहीं |
| 2. | निबंधन पदाधिकारी द्वारा अपने अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले नगर निकाय से संबंधित सभी वार्ड के गठन/परिसीमन से संबंधित गजट प्राप्त है। | हाँ/नहीं |
| 3. | निबंधन पदाधिकारी द्वारा मतदाता सूची की तैयारी हेतु रिवाईजिंग अथॉरिटी एवं अन्य कर्मियों की नियुक्ति की गई है। | हाँ/नहीं |
| 4. | निबंधन पदाधिकारी द्वारा मतदाता सूची की तैयारी के संबंधित पदाधिकारी /कर्मी को मतदाता सूची की तैयारी के संबंधित प्रशिक्षण दिया गया है। | हाँ/नहीं |
| 5. | नगर निकाय के किसी भी पदाधिकारी या कर्मचारी को मतदाता सूची की तैयारी के संबंधित कार्य से संबद्ध तो नहीं किया गया है। | हाँ/नहीं |
| 6. | मतदाता सूची तैयार करने में संलग्न पदाधिकारी/कर्मी द्वारा संबंधित वार्ड की चौहद्दी को प्राप्त किया गया है, एवं विगत निर्वाचन हेतु निर्धारित मतदान केन्द्र का निरीक्षण किया गया है। | हाँ/नहीं |
| 7. | मतदाता सूची के वार्डवार विखण्डन हेतु निबंधन पदाधिकारी द्वारा संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची का PDF प्राप्त कर ली गई है। | हाँ/नहीं |
| 8. | सर्वे (Field Verification) के क्रम में प्राधिकृत कर्मी द्वारा संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की अद्यतन मतदाता सूची की प्रविष्टियों के समक्ष मतदातावार वार्ड संख्या अंकित किया जा रहा है। | हाँ/नहीं |
| 9. | सर्वे पश्चात् चिह्नित मतदाता सूची के आधार पर वार्डवार विखण्डन का कार्य प्रपत्र–क में तैयार किया जा रहा है। | हाँ/नहीं |
| 10. | प्रपत्र–क में वार्डवार की गई प्रविष्टि का सत्यापन निबंधन पदाधिकारी द्वारा किया जा रहा है। | हाँ/नहीं |
| 11. | सत्यापित प्रपत्र–क के आधार पर आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए सॉफ्टवेयर के माध्यम से मतदाता सूची के डेटाबेस को विखंडीकृत किया जा रहा है। | हाँ/नहीं |
| 12. | विखण्डन के पश्चात सॉफ्टवेयर द्वारा डाटा की जाँच की गई है। | हाँ/नहीं |
| 12. | विखण्डन के पश्चात् वार्डवार प्राप्त मतदाता सूची का PDF प्राप्त कर मुद्रण किया गया है। | हाँ/नहीं |

| | | |
|---|---|---|
| 13. | वार्डवार मुद्रित प्रारूप मतदाता सूची की प्रविष्टियों का मिलान प्रपत्र–क की सत्यापित प्रति से की गई है। | हाँ / नहीं |
| 14. | निबंधन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि को प्रपत्र–1 में प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन की सूचना विधिवत् रूप से निर्धारित स्थान पर प्रकाशित की गई है। | हाँ / नहीं |
| 15. | रिवाईजिंग अथॉरिटी को पर्याप्त संख्या में दावा / आपत्ति के संबंधित विहित प्रपत्र (प्रपत्र–2, 2A, 3, 4 एवं 5) की आपूर्ति की गई है। | हाँ / नहीं |
| 16. | मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की सूचना को प्रसारित / प्रचारित किया गया है। | हाँ / नहीं |
| 17. | दावा / आपत्ति की प्राप्ति से संबंधित पंजी (प्रपत्र–ग) का संधारण किया जा रहा है। | हाँ / नहीं |
| 18. | निबंधन पदाधिकारी द्वारा दावा / आपत्ति का आयोग द्वारा निदेशित रीति एवं निर्धारित समय के अधीन निष्पादन किया गया है। | हाँ / नहीं |
| 19. | निबंधन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि को अनुपूरक–1 के साथ अंतिम रूप से तैयार मतदाता सूची का प्रकाशन (Final Publication) करते हुए प्रपत्र–घ में प्रकाशन की सूचना दी गई है। | हाँ / नहीं |

## नगरपालिका, 2026 रिक्त पदों की विवरणी

| क्र0 सं0 | जिला | नगरपालिका का नाम | रिक्ति की विवरण | वार्ड सं0 | रिक्ति का कारण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पटना | नगर पंचायत नौबतपुर | मुख्य पार्षद | पूर्ण क्षेत्र | आयोग द्वारा पदच्युत |
| | | नगर परिषद खगौल | वार्ड पार्षद | 15 | |
| | | नगर परिषद सम्पतचक | वार्ड पार्षद | 13 | |
| | | नगर परिषद मसौढ़ी | वार्ड पार्षद | 31 | |
| 2 | बक्सर | नगर परिषद डुमराँव | मुख्य पार्षद | पूर्ण क्षेत्र | आयोग द्वारा पदच्युत |
| 3 | भोजपुर (आरा) | नगर पंचायत गड़हनी | वार्ड पार्षद | 12 | मृत्यु |
| 4 | कैमूर | | | | |
| 5 | रोहतास (सासाराम) | नगर परिषद डिहरी, डालमियाँ नगर | वार्ड पार्षद | 20 | आयोग द्वारा पदच्युत |
| | | नगर परिषद नोखा | वार्ड पार्षद | 8 | आयोग द्वारा पदच्युत |
| | | नगर परिषद डिहरी, डालमियाँ नगर | वार्ड पार्षद | 19 | आयोग द्वारा पदच्युत |
| 6 | नालन्दा | नगर पंचायत परवलपुर | वार्ड पार्षद | 4 | त्याग पत्र |
| | | नगर निगम बिहारशरीफ | वार्ड पार्षद | 38 | आयोग द्वारा पदच्युत |
| 7 | गयाजी | नगर पंचायत ईमामगंज | वार्ड पार्षद | 7 | मृत्यु |
| 8 | नवादा | | | | |
| 9 | औरंगाबाद | | | | |
| 10 | जहानाबाद | नगर पंचायत घोषी | वार्ड पार्षद | 18 | आयोग द्वारा पदच्युत |
| | | नगर पंचायत लरसा | वार्ड पार्षद | 15 | |
| 11 | अरवल | | | | |
| 12 | सारण | नगर पंचायत परसा | वार्ड पार्षद | 7 | |
| | | | वार्ड पार्षद | 6 | |
| 13 | सिवान | | | | |
| 14 | गोपालगंज | | | | |
| 15 | मुजफ्फरपुर | नगर निगम मुजफ्फपुर | वार्ड पार्षद | 24 | आयोग द्वारा पदच्युत |
| | | नगर परिषद मोतीपुर | वार्ड पार्षद | 1 | आयोग द्वारा पदच्युत |
| 16 | वैशाली | | | | |
| 17 | पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) | नगर पंचायत मेहसी | वार्ड पार्षद | 2 | मृत्यु |
| | | नगर परिषद रक्सौल | मुख्य पार्षद | पूर्ण क्षेत्र | नगर विकास एवं आवास विभाग 2301 / 05.08.2025 |
| 18 | पश्चिम चम्पारण (बेतिया) | नगर परिषद बगहा | वार्ड पार्षद | 10 | मृत्यु |
| | | नगर पंचायत मच्छरगावाँ | वार्ड पार्षद | 5 | मृत्यु |
| 19 | सीतामढ़ी | | | | |
| 20 | दरभंगा | नगर पंचायत बिरौल | उप मुख्य पार्षद | पूर्ण क्षेत्र | |
| | दरभंगा | नगर परिषद बेनीपुर | वार्ड पार्षद | 22 | त्याग |
| 21 | मधुबनी | | | | |
| 22 | समस्तीपुर | | | | |
| 23 | सहरसा | | | | |
| 24 | सुपौल | | | | |
| 25 | मधेपुरा | नगर पंचायत मुरलीगंज | वार्ड पार्षद | 5 | मृत्यु |
| | | नगर परिषद मधेपुरा | वार्ड पार्षद | 14 | मृत्यु |
| 26 | पूर्णियाँ | नगर पंचायत चम्पानगर | वार्ड पार्षद | 3 | मृत्यु |
| 27 | किशनगंज | | | | |
| 28 | कटिहार | | | | |
| 29 | अररिया | | | | |
| 30 | मुंगेर | | | | |

| नगरपालिका, 2026 रिक्त पदों की विवरणी | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| क्र0 सं0 | जिला | नगरपालिका का नाम | रिक्ति की विवरण | वार्ड सं0 | रिक्ति का कारण |
| 31 | लखीसराय | नगर परिषद लखीसराय | वार्ड पार्षद | 25 | आयोग द्वारा पदच्युत |
| 32 | बेगूसराय | | | | |
| 33 | खगड़िया | नगर पंचायत अलौली | उप मुख्य पार्षद | पूर्ण क्षेत्र | मृत्यु |
| 34 | जमुई | | | | |
| 35 | भागलपुर | नगर निगम भागलपुर | वार्ड पार्षद | 40 | आयोग द्वारा पदच्युत |
| 36 | बाँका | | | | |
| 37 | शिवहर | | | | |
| 38 | शेखपुरा | | | | |